[Shri Shri Chand Goyal]

the Joint Committee on the Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1898 and the Representation of the People Act, 1951, and to provide against printing and publication of certain objectionable matters.

(ii) Evidence

SHRI SHRI CHAND GOYAL : I beg to lay on the Table a copy of the evidence given before the Joint Committee on the Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1898, and the Representation of People Act, 1951, and to provide against printing and publication of certain objectionable matters.

12.31 hrs.

INDIAN RAILWAYS (SECOND AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M POONACHA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Railways Act, 1890.

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : इस विधेयक को यहां पेश करने के प्रस्ताव का मैं विरोध करना चाहता हूं ।

एक माननीय सदस्य : घोर विरोध ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : हो सकता है कि मन्त्री महोदय हमारे इस विरोध का गलत अर्थ लगायें और यह कहें कि जो बिना टिकट आज कल रेल गाड़ी पर यात्रा करते हैं उन पर रोक लगाने वाले विधेयक का विरोध कर के मैं बिना टिकट वाले लोगों द्वारा इस तरह से प्रयास किये जाने को बढ़ावा दे रहा हूं या इस तरह की बात सोच रहा हूँ। मेरा विरोध इस बात को लेकर नहीं है कि बिना टिकट प्रवास करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही न की जाये । हम तो चाहेंगे कि रेल पर कोई भी व्यक्ति बिना टिकट न चले और अगर कोई जाता है तो उस को जरूर बहुत ही सख्त सजा दी जाये ।

लेकिन इस बारे में रेलवे का भी कुछ कर्तव्य रहता है । हम सब लोगों का अनुभव है कि अपने कर्तव्य का तो रेलवे कभी पालन नहीं करता है और हमेशा इसी बात के प्रयास करता रहता है कि दूसरों से उनके कर्तव्य का पालन किस तरह कराया जाये । पिछले हफ्ते इस कानून—इण्डियन रेलवे एक्ट—में संशोधन करने के लिए पहला एमेंडिंग बिल लाया गया था, जिस के द्वारा रेलवे कर्मचारियों के अधिकारों को छीन लिया गया । आज उस कानून में एक दूसरा संशोधन-विधेयक ला कर मन्त्री महोदय यह साबित करना चाहते हैं कि रेलों के और उनकी आमदनी की हिफाजत के लिए वह कितने उत्सुक और प्रयत्नशील हैं ।

इस बिल को देखने से यह बात साफ हो जाती है कि इसका इस्तेमाल ज्यादातर तीसरे दर्जे में प्रवास करने वाले लोगों के खिलाफ होगा । हम जानते हैं कि बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्ति ज्यादातर तीसरे दर्जे में ही चलते हैं । पहले दर्जे और एयर-कण्डीशण्ड डिब्बों में बिना टिकट यात्रा करना असम्भव होता है, क्योंकि उन में बैठने या सोने की जितनी जगहें होनी हैं, उससे ज्यादा टिकट नहीं दिये जाते हैं, उनमें कई एटेण्डेण्ट रहते हैं और इन्स्पैक्टर्स इत्यादि वहां पर हमेशा आया-जाया करते हैं । मन्त्री महोदय इस कानून के द्वारा बिना टिकट यात्रा करने के दण्ड को 100 रुपये से बढ़ा कर 500 रुपये तक करने का प्रयास कर रहे हैं । यह प्रत्यक्ष है कि यह प्राविज़न तीसरे दर्जे के यात्रा करने वाले गरीब लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जायेगा ।

मैं रेल मन्त्री से पहला प्रश्न यह पूछना चाहता हूँ कि जब वह मुसाफिरों के खिलाफ यह

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 2.12.68.

सख्त कार्यवाही करने जा रहे हैं, तब क्या वह थर्ड क्लास में बैठने की जगह देने की अपनी जिम्मेदारी को जानते हैं ; अगर वह जानते हैं, तो यह बतायें कि आज थर्ड क्लास में मुसाफिरों को जानवरों से भी खराब तरीके से लाया जाता है, उस स्थिति को खत्म करने के लिए पिछले कई बरसों में उन्होंने क्या प्रयास किया है ।

मैं आपका ध्यान इंडियन रेलवेज एक्ट के जिसको मन्त्री महोदय संशोधित करने जा रहे हैं, सेक्शन 63 की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है :

"Every railway administration shall fix, subject to the approvai of the Central Government, the maximum number of passengers which may be carried in each compartment of every description of carriage and shall exhibit the number so fixed in a conspicuous manner inside or outside each compartment in Hindi and in English and also, if considered necessary by the Railway administration, in one or more of the regional languages in common use in the territory traversed by the railway."

मेरा प्रश्न यह है कि इंडियन रेलवेज एक्ट के इस सेक्शन 63 को किस तरह से अमल में लाया जाता है । थर्ड क्लास के डिब्बों पर लिखा जाता है कि उनमें 60 या अमुक संख्या में मुसाफिर प्रवास कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में उस डिब्बे में 160 से भी अधिक मुसाफिर बिठाये जाते हैं । अगर मन्त्री महोदय यह कहें कि उन्होंने तो उन लोगों को वहां बैठने के लिए मजबूर नहीं किया है, तो इसे तो कोई उचित उत्तर नहीं कहा जा सकता है । रेलवे प्रशासन जितने लोगों से पैसे लेकर उन्हें टिकट देता है, उन्हें जगह देना उसका फर्ज है । सेक्शन 63 का यह मतलब कभी नहीं है कि सिर्फ डिब्बे पर लिख दिया जाये कि उसमें इतने मुसाफिर बैठ सकते हैं, लेकिन उसको अमल में न लाया जाये ।

इसके बाद मैं आपका ध्यान सेक्शन 93 की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो इस प्रकार है :

"If a railway company contravenes the provisions of section 53 or section 63 with respect to the maximum load to be carried in any wagon or truck, or the maximum number of passengers to be carried in any compartment, or the exhibition of such load on the wagon or truck or of such number in or on the compartment, or knowingly suffers any person owning a wagon or truck passing over its railway to contravene the provisions of the former of those sections, it shall forfeit to the Central Government the sum of twenty rupees for every day during which either section is contravened."

इसमें दो बातें सामने आती हैं : एक तो डिब्बे पर लिखा जाये कि उसमें कितने आदमी बैठ सकते हैं और दूसरे, वास्तव में उस डिब्बे में उतने ही आदमी लिये जायें सिर्फ डिब्बे पर लिखना ही काफी नहीं है, उसको अमल में भी लाना है । हम देखते हैं कि हर एक गाड़ी में थर्ड क्लास के डिब्बों में निश्चित संख्या से कहीं ज्यादा मुसाफिर भर दिये जाते है । इसका अर्थ यह है कि रेलवे प्रशासन स्वय सेक्शन 63 को तोड़ रहा है । सेक्शन 93 के अनुसार रेलवे द्वारा सेक्शन 63 का उल्लंघन किये जाने पर उस पर बीस रुपये का जुर्माना होना चाहिए । मुसाफिरों को बैठने की जगह देना रेलवे का फ़र्ज है, लेकिन वह इस फर्ज को अदा नहीं करती है । अव्वल तो इसके लिये किसी को सजा नहीं दी जाती है और अगर दी जाती है, तो वह सिर्फ बीस रुपये जुर्माना है, जो कि रेलवे के जैनेरल-मैनेजर या अन्य सम्बद्ध अधिकारी अपने पास से नहीं देते हैं, बल्कि वह तो सरकार का पैसा होता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों में सेक्शन 93 के अन्तर्गत रेलवे के कितने अफसरों को दंड दिया गया है ।

मैंने शुरू में ही कहा है कि मैं इस बात का

[श्री जार्ज फरनेन्डीज]

कभी समर्थन नहीं कर सकता हूं कि कोई रेल में बिना टिकट प्रवास करे। लेकिन रेलवे के मुसाफिरों के बारे में कुछ तो ईमानदारी से बहस होनी चाहिए। हम जानते हैं कि पंजाब से गाय-भैंस बम्बई ले जाई जाती हैं। रेल में उन्हें ले जाने के बारे में निश्चित नियम है। लेकिन यह खेद की बात है कि नियमों के अनुसार रेलों में जितनी जगह जानवरों को दी जाती है, उतनी जगह थर्ड क्लास के मुसाफिरों को नहीं दी जाती है और उनके लिए बनाए हुए कानून को अमल में नहीं लाया जाता है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि रेलवे की आमदनी कोई एयर-कन्डीशन्ड में जाने वाले लोगों से नहीं होती है। यह आमदनी कोई फर्स्ट क्लास के मुसाफिर नहीं देते हैं। मैं आपको गए साल का हिसाब बताऊं। गए साल थर्ड क्लास के मुसाफिरों ने 203 करोड़ रुपये रेलवे को दिए जबकि एयर-कन्डीशन्ड के अन्दर सारे ठाठ बाट से चलने वाले मुसाफिरों ने गए साल सिर्फ 2 करोड़ रुपये दिए। 2 करोड़ रुपये देने वालों को सुविधाएं जो दी जाती है वह थर्ड क्लास के मुसाफिरों को पैसे से दी जाती है और कभी न कभी, कहीं न कहीं, इन चीजों पर बहस होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि रेलवे का बजट आने पर या कोई विधेयक आवे तो उस पर और चीजों की बहस तो होगी लेकिन थर्डक्लास के पेसेंजर्स की हालत पर कोई बहस नहीं होती है और जिस ढंग से गाड़ी में लोगों को ले जाने का काम यह करते हैं। इसलिए मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को आज यहां पर पेश करने की इजाजत न दी जाय। रेलवे सबसे पहले अपने कर्तव्य का पालन करने की जिम्मेदारी उठाये और उसके बाद मुसाफिरों पर जो सख्ती से कार्यवाही करनी है वह कार्यवाही करने का काम वह करें।

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : We are not having a general debate now.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन में परम्परा रही है कि जिन विधेयकों का सिद्धांत: विरोध हो उनका पेश करते समय विरोध किया जाय लेकिन अगर आप आम बहस की इजाजत देंगे तो इस विधेयक पर मैं भी बोलना चाहूंगा। जो बातें विधेयक की चर्चा पर कही जा सकती है उनको प्रारम्भ में कहने की अनुमति देंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको सारे सदन को बोलने की अनुमति देनी होगी।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Atal Bihari Vajpayee is perfectly right in what he says.

Shri Fernandes had written to me and he had said that he would like to oppose the introduction and he might be permitted to do so. In fact, when he was speaking I cautioned him that he should stick to that and not go into the merits of the Bill. If he had gone into the question of legislative competence etc. then he would have been within his rights. But he has said things which could have been said during the general discussion when that comes up here. If the hon. Minister has anything to say at this stage, he may do so.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : We are not having a general discussion now.

श्री मुहम्मद इस्माइल (बेरकपुर) : यह बिल क्यों ला रहे हैं इसी पर दो बातें मुझे कहनी हैं। आप को सुनना पड़ेगा।

SHRI C. M. POONACHA : The hon. Member has referred to overcrowding in running trains. It is a fact that there is overcrowding......

MR. DEPUTY-SPEAKER : That could be said at the consideration stage.

SHRI C. M. POONACHA : While that is so, the overcrowding in certain sections is due to ticketless travelling which is on the increase.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : To some extent, not wholly.

SHRI C. M. POONACHA : They do not want to buy tickets but they want to have a free ride. Therefore, this measure has been advisedly brought before the House for its consideration in order to stiffen the penalties for ticketless travel.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Railways Act, 1890."

The motion was adopted.

SHRI C. M. POONACHA : I introduce the Bill.

---

12 45 hrs.

STATE AGRICULTURAL CREDIT CORPORATIONS BILL--*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri K. C. Pant on the 28th November, 1968, namely :

> "That the Bill to provide for the establishment in the States and Union territories of Agricultural Credit Corporations and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

Shri Viswambharan may continue his speech. He has already taken seven minutes. So, he should be very brief now.

SHRI P. VISWAMBHARAN (Trivandrum) : The other day I was dealing with the main reasons for the tardy progress of the co-operative credit system in this country. The main reasons are the rigid rules and hurdles laid down by the Reserve Bank and the high rate of interest. Big business houses in the country are getting crores and crores of rupees of interest-free loan without even entering into any form of agreement regarding the repayment. In this connection, I am reminded of a discussion that was carried on in this House and in the other House two years ago about the loans given to the Tata Iron and Steel Co. and the Indian Iron and Steel Co. Rs. 10 crores of loan was given to the Tata Iron and Steel Co. without levying any interest and without entering into any agreement regarding repayment. Similarly, another Rs. 10 crores was given as loan to the Indian Iron and Steel Co. (whose majority shares have now been taken now by the Goenkas) without any interest. Big business-houses are being given loans without interest. Smaller business houses or the smaller industrialists are given loans at the rate of 4 or 5 per cent. But when it comes to the poor agriculturist, all sorts of rules and regulations are laid down which make it impossible for him to get a loan ; and if he passes through all the hurdles, he is called upon to pay interest at the rate of 10 per cent. The farmers in this country are the single class of people who have to pay the maximum rate of interest. That is one of the reasons why the co-operative credit system has not succeeded in this country. In this Bill also, the very same procedure is being sought to be introduced. It has been laid down here in this Bill that the rules regarding issue of loans etc. will be guided by the instructions issued by the Reserve Bank. Actually, it is the Reserve Bank that sits tight over the agriculturists and prevents them from getting the loans.

If an agriculturist wants Rs 1000 as agricultural short-term loan, first he has to deposit Rs. 200 in a primary society or a primary bank by way of share capital. Then he has to go from pillar to post to get all sorts of certificates from the revenue officer, the sub-registrar and so on and then he has to process his application through the primary society and the district bank, so much so that he will have to spend Rs. 300 to get a loan of Rs. 1000. At the end of the year, he has to pay 10 per cent by way of interest. The same set of rules is sought to be laid down in this Bill also. So, I would suggest that it should be specifically provided in this Bill that the agriculturist who takes a loan from the State Agricultural Credit Corporation shall not be called upon to pay an interest of more than 5 or 6 per cent.